

बोरवेल की खुदाई और उपयोग के लिए मसौदा नियम
डगशाई छावनी

1. **लघु शीर्षक:** डगशाई छावनी में बोरवेल की खुदाई और उपयोग के लिए विनियम।
2. ये विनियम छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 3 के तहत अधिसूचित पूरी छावनी पर लागू होते हैं।

3. परिभाषाएँ:

3.1. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो,

- (क) अधिनियम से छावनी अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- (ख) जल की उपलब्धता और उपयोग - जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के संबंध में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना और केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में यथा परिभाषित किया गया है।
- (ग) प्रपत्र का अर्थ इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्रों में से किसी एक से है।
- (घ) भूजल निष्कर्षण संरचना का अर्थ भूमि जल को निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली संरचना से है जैसे बोरवेल/ट्यूबवेल/डग वेल/टनल वेल आदि।
- (ङ) जल शक्ति मंत्रालय की दिनांक 24-09-2020 की अधिसूचना के माध्यम से जारी अनुबंध-VI में उल्लिखित आवासीय इकाई/मकान, बंगला, सोसायटी, ट्रस्ट, शिक्षा संस्थान, उद्योग, होटल, वाणिज्यिक रेस्तरां, चाय स्टाल, कॉफी शॉप, स्पा, कार स्पा, ब्यूटी पार्लर, बारबोर शॉप, मैरिज ग्राउंड/हॉल आदि या अनुलग्नक VI में उल्लिखित किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल का उपयोग का अर्थ है।
- (च) फ्लो मीटर का अर्थ है - आईएसआई/आईएसओ मानक फ्लो मीटर को मुख्य निष्कर्षण बिंदु पर स्थापित किया जाना है।
- (छ) प्राधिकरण का अर्थ बोर्ड या सीईओ से है यदि बोर्ड द्वारा इन विनियमों के विनियमन 7 के तहत अधिकृत किया गया हो।

3.2 इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, लेकिन यहाँ परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों और जल शक्ति मंत्रालय की दिनांक 24/09/2020 की अधिसूचना द्वारा जारी "भारत

में भूजल निष्कर्षण को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश" में क्रमशः सौंपा गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

4. छावनी बोर्ड मौजूदा बोरवेल/ट्यूबवेल/खोदे गए कुओं/सुरंग कुओं आदि का सर्वेक्षण करेगा। सर्वेक्षण में संबंधित बोरवेल के अस्तित्व में आने की तारीख और हर दिन पानी की औसत निकासी शामिल होगी।

छावनी क्षेत्र के भीतर भूजल के निष्कर्षण के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए वर्तमान जल आपूर्ति स्रोत की उपलब्धता के साथ जनसंख्या के घनत्व पर विचार किया जाएगा।

6. उपलब्ध भूजल का सर्वेक्षण - बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय की एजेंसियों या राज्य सरकार के किसी अन्य संगठन की मदद से उपयोग के लिए उपलब्ध भूजल के स्तर का पता लगाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा।
7. प्राधिकरण की नियुक्ति: प्राधिकरण का अर्थ है बोर्ड। बोर्ड विनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से शक्ति का प्रयोग करने और कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

8. प्राकृतिक जल पाठ्यक्रम का संरक्षण

8.1. मौजूदा नलकूपों का सर्वेक्षण किया जाए ताकि जल प्रवाह की उपलब्धता के साथ-साथ बोरवेलों की संख्या का पता लगाया जा सके।

8.2. जल की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए सरकारी विभाग के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और यह भी कि क्या पेयजल सरकारी मानक के अनुसार संदूषण से मुक्त है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पानी पीने योग्य है या नहीं।

8.3. यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि क्या अपशिष्ट जल का कोई स्रोत है और क्या खतरनाक पानी रिस गया है और बोरवेल का पानी प्रभावित हुआ है।

8.4. जल की मौजूदा आपूर्ति, गुणवत्ता, उपयोग और भूजल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भूजल निष्कर्षण के लिए आवेदन पर विचार किया जाएगा।

9. भूजल निष्कर्षण संरचना की अनुमति से छूट - जल शक्ति मंत्रालय की दिनांक 24/09/2020 की अधिसूचना के माध्यम से जारी "भारत में भूजल निष्कर्षण को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार छूट दी जाएगी जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

10. बोरवेल का पंजीकरण:

10.1. वर्तमान बोरवेल का पंजीकरण- प्राधिकरण व्यापक प्रचार-प्रसार कर बोरवेल/ट्यूबवेल/डग वेल/टनल वेल आदि के अनिवार्य पंजीयन की सूचना प्रकाशित करेगा। पंजीकरण के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। पंजीकरण के लिए निवासियों को फॉर्म जारी किए जाएंगे। पंजीकरण शुल्क और नवीकरण शुल्क, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा। प्राधिकरण बिना कोई कारण बताए किसी भी समय भूजल की निकासी को रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

- 10.2. नया बोरवेल** - आवेदक - मालिक, निवासी प्रमुख, पट्टेदार, कानूनी उत्तराधिकारी, ट्रस्ट प्रमुख, शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख, अधिकृत कब्जेदार आदि निर्धारित प्रपत्र में बोरवेल/ट्यूबवेल/डग वेल/टनल वेल आदि खोदने के इरादे से आवेदन दायर कर सकते हैं। उक्त आवेदन की जांच प्राधिकारी द्वारा अधिमानतः 30 दिनों के भीतर की जाएगी और निर्णय की सूचना दी जाएगी। यदि निर्णय 30 दिनों के भीतर सूचित नहीं किया जाता है, तो इसे अनुमोदन नहीं माना जाएगा। प्रत्येक नए बोरवेल आवेदक को बोर्ड द्वारा तय किए गए नियमित अंतराल पर लाइसेंस का नवीनीकरण करना आवश्यक होगा।
- 10.3.** बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के भीतर सैन्य प्रतिष्ठान को बोरवेल के अस्तित्व के बारे में सूचित करना आवश्यक होगा।
- 11.** भूजल निकालने के लिए संरचना बनाने के लिए पंजीकरण/आवेदन हेतु आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:
- 11.1.** इन विनियमों से संलग्न प्रपत्र के अनुसार आवेदन और घोषणा।
- 11.2.** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा मॉडल भवन उपनियमों के अनुसार वर्षा जल संचयन के लिए प्रस्ताव।
- 11.3.** संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए प्रभाव आकलन रिपोर्ट अर्थात् जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 24/09/2020 की अधिसूचना के अनुलग्नक IV में उल्लिखित रिपोर्ट।
- 11.4.** आधार कार्ड/पैन कार्ड/जीएसटी नं. (जैसा लागू हो) आवेदक का। किसी भी पंजीकृत सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म, कंपनी आदि के मामले में जमीन से पानी निकालने और सोसायटी के संबंधित पदाधिकारी को प्राधिकरण देने के लिए आम सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया।
- 12.** बोर्ड किसी भी समय भूजल के कारणों को दर्ज करके भूजल की निकासी को रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।
- 13. प्रभारों की वसूली:**
- 13.1.** प्रभार की लेवी का निर्धारण करने के लिए, प्रत्येक आवेदक को फ्लो मीटर को ठीक करना आवश्यक है। यदि फ्लो मीटर काम नहीं कर रहा है, तो अनुमति को तुरंत निलंबित किया जा सकता है। प्राधिकरण को आवेदन के साथ निलंबन रद्द किया जा सकता है। बोर्ड इसके लिए 10,000 रुपये का जुर्माना/क्षति लगाएगा।
- 13.2.** मौजूदा आवासीय बोरवेल के लिए - 100 लीटर से अधिक निकासी के लिए शुल्क 10/- रुपये प्रति हजार लीटर लिया जाएगा।
- 13.3.** वाणिज्यिक/औद्योगिक बोरवेल के लिए शुल्क - 50 लीटर से अधिक निकासी के लिए 15/- रुपये प्रति हजार लीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा।
- 14. जल के उपयोग पर प्रतिबंध:** इस प्रकार निकाले गए भूजल को प्राधिकरण की अनुमति के बिना आवेदक द्वारा किसी भी रूप में नहीं बेचा जाएगा। यदि यह देखा गया कि आवेदक बिना अनुमति के निकाले गए भूजल को बेच रहा है, दी गई अनुमति को तुरंत निलंबित

- कर दिया जाएगा और प्रवाह मीटर को सील कर दिया जाएगा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
15. **भूजल की गुणवत्ता का संरक्षण:** भूजल के आवेदक और उपयोगकर्ता को सरकारी एजेंसी से हर तीन साल में पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने और प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि क्या पानी पीने योग्य है। यदि पानी दूषित पाया जाता है, तो पानी का उपयोग पीने के उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
 16. **वर्षा जल संचयन:** बोरवेल खोदने वाले प्रत्येक आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाई जाएं और वर्षा जल संचयन का पालन किया जाए। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि वर्षा जल संचयन कार्यात्मक है और समय-समय पर बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा।
 17. **निषेधात्मक आदेश:** प्राधिकरण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सकता है, यदि यह पता चलता है कि पानी दूषित है और मानव उपभोग के लिए हानिकारक है।
 18. **प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जल लेखा परीक्षा** की जाएगी और भूजल की उपलब्धता का पता लगाया जाएगा। भूजल में कमी के मामले में, भूजल के निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जैसा कि बोर्ड/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा तय किया गया है।
 19. **अपील:** मुख्य अधिशासी अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रत्येक अपील बोर्ड के पास होगी और बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध प्रत्येक अपील प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा, कमान के पास होगी। प्रत्येक अपील मुख्य अधिशासी अधिकारी या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, के आदेश के संचार की तारीख से 30 दिनों के भीतर की जाएगी।
 20. **प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई का संरक्षण:** अधिनियम और बनाए गए नियमों के तहत किए गए या किए जाने वाले किसी भी काम के लिए प्राधिकरण या उसके कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई मुकदमा या अभियोजन नहीं माना जाएगा।
 21. **आदेश को अंतिम रूप देना:** इस नियम के तहत प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रत्येक आदेश/निर्देश अंतिम होगा और किसी वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
 22. **निरीक्षण की शक्ति:** जैसा कि छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 305 से 310 में प्रावधान किया गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।
 23. **उल्लंघन के लिए दंड:** जैसा कि समय-समय पर संशोधित छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 333 में प्रावधान किया गया है।
 24. जहां भी उपरोक्त प्रावधानों में से कोई भी मौजूदा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) दिशानिर्देशों के साथ असंगत है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) दिशानिर्देशों के प्रावधान लागू होंगे।
 25. जहां भी लागू हो, सभी ड्रिलिंग एजेंसियों, अर्थात् सरकारी/अर्ध सरकारी, निजी आदि का छावनी बोर्ड प्राधिकरण के साथ पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए।

फॉर्म - I

मौजूदा बोरवेल/ट्यूबवेल/डग वेल/टनल वेल आदि का पंजीकरण या नए बोरवेल/ट्यूबवेल/डग वेल/टनल वेल आदि की खुदाई की अनुमति आदि।

श्री/Smt. _____ को जारी किया गया

पुस्तक NO. _____

आवेदन पत्र एसएल No. _____

नए बोरवेल/ट्यूबवेल/डग वेल/टनल वेल आदि के पंजीकरण, संशोधन या परिवर्तन या खुदाई के लिए आवेदन का प्रपत्र।

1. आवेदक के बारे में विवरण

ए) मालिक आवेदक का नाम (ब्लॉक अक्षरों में) (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें):

ख) पुत्र /पुत्री /पत्नी /पति:

सी) सेक्स (कृपया टिक): एम /

घ) राष्ट्रीयता:

ई) आवेदक का पता:

2. मौजूदा कुएं के पंजीकरण का विवरण

क) पंजीकरण संख्या:

ख) पंजीकरण की तिथि:

3. मौजूदा/प्रस्तावित नए बोरवेल/ट्यूबवेल/डग वेल/टनल वेल आदि के स्थान का विवरण:

क) वार्ड नं.

ख) मोहल्ला/सड़क/मकान नं.

ग) जीएलआर संख्या/राजस्व सर्वेक्षण सं.

घ) उपरोक्त (बी) में दर्ज व्यक्ति का नाम:

ई) उपरोक्त (सी) में दर्ज व्यक्ति के साथ आवेदक का संबंध:

च) कृपया निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें: आधार कार्ड / बिजली बिल / भूमि के स्वामित्व के लिए पते के प्रमाण के रूप में कोई दस्तावेज / जीएलआर / राजस्व रिकॉर्ड का निकालना।

4. मौजूदा/पंजीकृत किए जाने वाले/प्रस्तावित नए कुएं का विवरण:

क) कुएं के निर्माण/डूबने की तारीख (मौजूदा के मामले में);

ख) कुएं का प्रकार अर्थात खोदा हुआ कुआं/नलकूप/बोरिंग: अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

ग) कुएं की गहराई (मीटर):

घ) ट्यूबवेल के मामले में:

होसिंग पाइप की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) (यदि कोई हो)

छन्नी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी)

3. होसिंग पाइप और रिक्त पाइप की सामग्री: (पीवीसी / आयरन / गैल्वनाइज्ड

आयरन) iv. छन्नी की सामग्री: (पीवीसी / आयरन / गैल्वनाइज्ड आयरन)

ई) डग वेल के मामले में:

i. खोदे गए कुएं का व्यास (मीटर):

2. डग वेल की किसी भी प्रकार की संरचना (कृपया टिक) कच्चा/पक्का
- च) क्या कुएं के पानी की गुणवत्ता के बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट मिली है (मौजूदा के मामले में) - हां /
- एक। यदि हां, तो विवरण दें।
5. पंपिंग डिवाइस का विवरण
- ए) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक): (केन्द्रापसारक / पनडुब्बी / टरबाइन / इजेक्ट ओ पंप, आदि)
- ख) स्तंभ पाइप की लंबाई (पनडुब्बी / टरबाइन पंप के मामले में)
- ग) पंप क्षमता
- घ) हिमाचल प्रदेश
- ई) परिचालन उपकरण (कृपया टिक): (इलेक्ट्रिक मोटर्स / डीजल इंजन)
- च) ऊर्जाकरण की तारीख (बिजली ड्राइव पंप के मामले में)
6. कुएं की उपयोगिता का विवरण:
- क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य (औद्योगिक/वाणिज्यिक/अवसंरचनात्मक/थोक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें)
- ख) दैनिक चलने के घंटे
- ग) क्या क्षेत्र को पाइप से पानी की आपूर्ति के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त होती है: हाँ / नहीं (कृपया टिक)
- 7 . पंजीकृत कुएं में संशोधन या परिवर्तन का विवरण:
8. पंजीकृत कुएं में संशोधन या परिवर्तन का कारण:
9. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है: हाँ / नहीं (कृपया टिक)
- यदि नहीं, तो वर्षा जल संचयन के लिए उपाय किए जाने का विचार है।
10. (क) कृपया उपचार का तरीका या अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव (उद्योगों/अस्पतालों/कसाईयों आदि के लिए) प्रस्तुत करें:
- यदि (क) लागू होता है, तो कृपया उल्लेख करें कि क्या बहिस्त्राव या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए छावनी बोर्ड/संबंधित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है: [हां/नहीं] यदि हां, तो इसकी प्रति संलग्न करें।
- नोट: यदि आवेदक ने बहिस्त्राव या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए छावनी बोर्ड या संबंधित प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त नहीं किया है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।
11. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण:
- क) भुगतान की गई आवेदन शुल्क की राशि –
- i) 100 करोड़ रुपये।
- (ii) रसीद संख्या/संदर्भ सं. (रूपरेखा परियोजना के लिए):
- iii) दिनांक:
12. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है: स्थान का उपयोग करें:

फॉर्म II

घोषणा प्रपत्र

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और सत्य हैं। मैं समझता हूँ कि यदि सत्यापन/संवीक्षा के किसी भी चरण में कोई विवरण/सूचना गलत पाई जाती है, तो आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। यदि प्रस्तुत किए गए विवरणों /सूचनाओं में से कोई भी पंजीकरण जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

मैं सहमत हूँ _____

नोट:

1. प्रत्येक व्यक्तिगत कुएं के पंजीकरण या संशोधन या परिवर्तन या नए कुएं की खुदाई के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार / परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. कृपया उन मर्दों के विरुद्ध 'एनए' लिखें जो लागू नहीं हैं।
4. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:
(i) भूमि के स्वामित्व/अधिभोग अधिकार/आदि के प्रमाण दर्शाने वाला दस्तावेज।
(ii) आधार कार्ड/वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी पहचान का अन्य प्रमाण है।
5. संबंधित प्राधिकारी मामले की योग्यता की जांच के लिए आवेदक से कोई अन्य दस्तावेज मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैं सहमत हूँ _____